न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 38/2019 **दायर दिनांकः 15/03/2019**

उनवान

1. रूपनारायण आयु 38 वर्ष पुत्र अमृतलाल
2. लालचन्द आयु 36 वर्ष पुत्र अमृतलाल जातियान धाकड निवासीगण काचरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. अमृतलाल आयु 60 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी काचरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाड़ा।

आदेश दिनाक : 26/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि वाके ग्राम एंव माल काचरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 2 की कुल किता 3 का रकबा 3.37 है0 मे प्रतिवादीक्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र , वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी भेरूलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता भेरूलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/3 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 25.01.2019 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/3 ,1/3 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल

जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एंव गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/3 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/3 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 26.02.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ । उक्त आराजी पर रहन हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल काचरा तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/3, 1/3 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी ग्राम व माल काचरा की खाता संख्या 2 की कुल किता 3 की 3.37 है0

आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो कि पैत्रक सम्पत्ति है। जो प्रतिवादी क्रम 1 को पिता भैरूलाल से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 की सन्तानें है इसलिए वादीगण की हिस्सा उपरान्त आराजी 1/3–1/3 जन्म से हिस्सा बनता है। वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा के वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के उपरोक्त वर्णित आराजी में हिस्सा 1/3, 1/3 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज कर कृषक खातेदार घोषित किया जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में मुताबिक राजीनामा के वादीगण क्रम 1 रूपनारायण व क्रम 2 लालचन्द्र व प्रतिवादी क्रम 1 अमृतलाल को हिस्सा 1/3–1/3 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम काचरा की खाता संख्या 2 कुल किता 3 रकबा 3.37 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति है। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र पुत्री है। उक्त विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का हक निहित है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम काचरा की खाता संख्या 2 किता 3 रकबा 3.37 है0, में वादी क्रम 1 ल 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामें अनुसार 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 38/2019

उनवान

1. रूपनारायण आयु 38 वर्ष पुत्र अमृतलाल
2. लालचन्द आयु 36 वर्ष पुत्र अमृतलाल जातियान धाकड निवासीगण काचरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. अमृतलाल आयु 60 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी काचरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाड़ा।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम काचरा की खाता संख्या 2 किता 3 रकबा 3.37 है0, में वादी कम 1 ल 2 व प्रतिवादी कम 1 को राजीनामें अनुसार 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.10.21 15:45:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: